न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 03/2016 (पुराना 58/2015)

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर .....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री चिरंजीलाल गुप्ता,
   निवासी आजाद मोहल्ला, बिजयनगर, तहसील मसूदा जिला–अजमेर। .....*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;... 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री श्रवण सिंह गौड — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश **दिनांक– 23.08..2018**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2015 को प्रवर्तन अधिकारी श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी अजमेर(द्वितीय) के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक श्री हेमन्त आर्य के साथ विजयनगर शहर स्थित आजाद मौहल्ला, पंचरत्न कॉम्पलेक्स की दुकान नं0 5 के वर्तमान मालिक को बुलाकर दुकान खुलावाकर जांच किये जाने पर अप्रार्थी की दुकान में चीनी एवं दाल का भण्डारण पाया गया। अप्रार्थी की दुकान में 140 कट्टे 50 किलो भरती के चेतक एवं टेलीफोन मार्का के (कुल 70 क्वि0) चने की दाल के पाये गये। अप्रार्थी द्वारा दालो के भण्डारण बाबत आवश्यक आर.टी.ए.एल. लाईसेंस होने से इन्कार किया तथा आर.टी.ए.एल. लाईसेन्स हेतु आवेदन किये जाने का भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि यह स्टॉक बिना लाईसेंस धारक व्यापारी हेतु अधिकतम अनुमत सीमा 10 क्वि0 से बहुत अधिक है ऐसी स्थिति में उक्त 70 क्वि0 चने की दाल को पैकिंग सहित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजहित में कब्जे राज किया जाकर मौके पर ही श्री नौरतमल भण्डारी पुत्र श्री सोहनलाल आर.टी.ए.एल.व्यवसायी विजयनगर (126/80) निवासी टांक गली विजयनगर को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। एक समय में किसी भी व्यवसायी को 10 क्वि0 से अधिक दालो के विक्रय हेतु खरीद एवं भण्डारण के लिए राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) एवं (ii) अन्तर्गत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है अप्रार्थी का यह कृत्य (Raj. Trade article licence 1980) राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के क्लाज 3(1) एवं 2 का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज ली गई 70 क्वि0 चना दाल को मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत अन्तरिम निस्तारण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चाहने पर उन्हे सुना गया। पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि, चूंकि दाल शीघ्र खराब होने वाली सामग्री है एवं वर्तमान में बढते दालो के दामों के कारण कृत्रिम अभाव पैदा होने से उक्त सामग्री बाजार में विक्रय हेतु आ सके, इसलिए जब्त शुदा सामग्री (चना दाल) का शीघ्र अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करावें। पैरोकार सरकार के निवेदन पर मनन एवं रिकार्ड पत्रावली के अवलोकन कर कब्जेराज ली गई 70 क्वि0 चना दाल का अन्तरिम

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

निस्तारण न्यायोचित प्रतीत होने से नियमानुसार निर्धारित प्रकिया के तहत अपेक्षित कार्यवाही कर प्राप्त राशि बतौर (ता फैसला रसद प्रा0पत्र) राजकोष में जमा कराने हेतुक जिला रसद अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा, 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब नोटिस प्रस्तुत कर समय वास्ते साक्ष्य/जिरह प्रद्वत किये जाने का निवेदन किया, जिसका प्रार्थी पैरोकार सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण दालो के अवैध भण्डारण से सम्बन्धित होकर 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त दालो के निस्तारण की अपेक्षित कार्यवाही का है। वरवक्त जब्ती कार्यवाही अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य/सबूत यथा भण्डारण हेतु आवश्यक आर.टी.ए. एल. लाईसेन्स अथवा इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी कोई जानकारी/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें साक्ष्य सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख आवश्यक रूप से दर्ज किये होगें। इसलिए प्रकरण की प्रकति के मध्यनजर पृथक से साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना न्याय संगत एवं कानूनन अपेक्षित है। वैसे वरवक्त बहस अप्रार्थी अपने शेष अन्य कथनों को मान0 न्यायालय के समक्ष प्रकट कर सकते है। लिहाजा बहस सुनी जावे। पैरोकार सरकार द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 70 क्वि0 चना दाल मय बारादाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिनांक 10.11.2015 को पारित किया गया। साथ ही उक्त जब्त सामग्री 70 क्वि0 चना दाल का अन्तरिम निस्तारण, आदेश दिनांक 30.10.2015 द्वारा किया जाने से जिला रसद अधिकारी, अजमेर को इसका नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा कराये जाने के भी निर्देश दिये गये।

इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री चिरंजीलाल गुप्ता, निवासी आजाद मोहल्ला, बिजयनगर, तहसील मसूदा जिला-अजमेर द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई जो विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अजमेर (राज0) को प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.4.2016 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 अपास्त कर पुनः इस न्यायालय (जिला कलक्टर,अजमेर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनो पक्षों को समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए मामले का निरस्तारण करें। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा श्री विनयकुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी द्वितीय एवं नीरज कुमार जैन प्रवर्तन निरीक्षक के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनसे अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जिरह पूर्ण की गई। अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अप्रार्थी द्वारा बहस सुने जाने के निवेदन पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि दिनांक 24.10.2015 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में रसद स्टाफ द्वारा अप्रार्थी की दुकान की जांच किये जाने पर दुकान में कुल 70 क्वि0 चना दाल का स्टॉक मिला। मौके पर पूछताछ में अप्रार्थी द्वारा आर.टी.ए.एल.लाईसेंस होने से इन्कार किया। चूंकि यह स्टॉक बिना लाईसेंस धारक व्यापारी हेतु अधिकतम अनुमत सीमा 10 क्वि0 से बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में उक्त 70 क्वि0 चना दाल पैकिग सहित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजहित में कब्जे राज की जाकर मौके पर मैसर्स श्री नौरतमल भण्डारी पुत्र

जिला कलक्टर
अजमेर

श्री सोहनलाल आर.टी.ए.एल.व्यवसायी विजयनगर (126/80) निवासी टांक गली विजयनगर को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। एकसमय में किसी भी व्यवसायी को 10 क्वि0 से अधिक दालो के विक्रय हेतु खरीद एवं भण्डारण के लिए राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) एवं (ii) अन्तर्गत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनाक 20.10.2015 के द्वारा Raj. Trade article (licencensing and Control) order 1980) के क्लाज 3. से 16 में विशेष रूप से संशोधन किया गया है तथा स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इस नोटिफिकेशन से पूर्व दिनांक 22.6.2015 को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि दिनांक 30.9.2015 तक प्रभावी था, दाल दलहन के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था एवं स्टॉक लिमिट निर्धारित थी। अप्रार्थी द्वारा लगातार बिना अनुज्ञप्ति दाल/दलहन का अवैध भण्डारण एवं व्यापार कर राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना की गई है। अप्रार्थी का कृत्य Raj. Trade article (licencensing and Control) order 1980) के क्लाज 3(1) एवं 2 का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज ली गई 70 क्वि0 चना दाल को मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र कथनों को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अप्रार्थी पिछले करीबन 15–16 वर्षो से स्वास्तिक ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से विजयनगर जिला–अजमेर में आर.एस.टी./103/08162/केकडी विकेता एवं खुदरा विकेता वनस्पति घी,देशी घी, खाद्य तथा अखाद्य तेल, तिलहन, दलहन, सभी प्रकार की दाले तथा खाण्डसारी शक्कर, मैदा, सूजी, आटा, गुड, अगरबत्ती के क्रय विक्रय का व्यापार कर रहा है। उनके द्वारा सभी सामग्री कानूनन भण्डारित की गई है। द्वेषता वश अप्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत कर उसे आर्थिक नुकसान पहॅचाने के उद्धेश्य से उक्त कार्यवाही करवाई गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कानून का कोई उल्लघंन नहीं किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध जब्त दालो को बढे हुए दामो में विक्रय या कालाबाज़ारी किये जाने हेतु भण्डारण बाबत कोई रिकार्डेड साक्ष्य नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस जारी रखते हुए आगे निवेदन किया कि आर.टी.ए.एल. एक्ट 1980 में संशोधन का नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 को जारी किया गया जिसके क्लॉज 3 से 16 में संशोधन किया गया। क्लॉज 03 में डीलर और प्रोड्यूसर को शामिल करते हुए यह डीलर और दालों के निर्माता को 15 दिन में लाईसेंस प्राप्त करने करने का समय दिया गया था किन्तु प्रार्थी अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2015 को ही अप्रार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या आर.ए.टी./103/08162 भी प्रस्तुत किया जाने के बावजूद अनुचित रूप से अप्रार्थी की दुकान से चना दाल को जब्त किया गया। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी ने इस न्यायालय (जिला कलक्टर अजमेर) द्वारा समान प्रकरण में पारित आदेश तथा राज्य सरकार के जारी नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 का हवाला देते हुए न्यायहित में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमया जाने एवं जब्त सामग्री/प्राप्त राशि अप्रार्थी को वापिस दिलवाये जाने के आदेश पारित फरमाने का निवेदन किया गया।अपने कथनो कथनों की पुष्टि में फर्द दस्तावेज के साथ इस न्यायालय आदेश दिनांक 12.4.2015 की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या– 1 अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.4.2016 के द्वारा इस न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 मुख्यतः निम्न बिन्दुओं के तहत अपास्त कर प्रतिप्रेषित किया गया कि :–

1. उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान करें।
2. क्या भण्डारण अपराधिक आशय से किया गया था ?

जिला कलक्टर
अजमेर

3. क्या पूर्व में Producer सम्मिलित नहीं था, अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है ?

माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2016 के निर्देशानुसार बिन्दूवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

1. उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान करें।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दोनो पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य रिकार्ड पर लेकर जिरह पूर्ण करवाई जाकर बहस उभक्ष पक्ष सुनी गई।

2. क्या भण्डारण अपराधिक आशय से किया गया था ?

इस बिन्दु के संदर्भ में अप्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि वह पिछले 15–16 वर्षो से स्वास्तिक ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से विजयनगर जिला–अजमेर में आर.एस.टी. /103/08162/केकडी विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता वनस्पति घी, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, सभी प्रकार की दालें तथा खाण्डसारी शक्कर, मैदा, सूजी, आटा, गुड, अगरबती के क्रय विक्रय का व्यापारी है। उनके द्वारा सभी सामग्री कानूनन भण्डारित की गई है। आर.टी.ए.एल. एक्ट 1980 में संशोधन का नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 को जारी किया गया जिसके क्लॉज 3 में डीलर और प्रोड्यूसर को शामिल करते हुए डीलर और दालों के निर्माता को 15 दिन में लाईसेंस प्राप्त करने करने का समय दिया गया था किन्तु प्रार्थी अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2015 को ही अप्रार्थी की दुकान से चना दाल को जब्त किया गया। इन तथ्यों को पैरोकार सरकार द्वारा भी नकारा नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी का उक्त भण्डारण अपराधिक आश्य से किया जाना प्रकट नहीं है। अतः यह बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

3. क्या पूर्व में Producer सम्मिलित नहीं था, अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है ?

अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है। इस तथ्य को उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया है एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित है। लिहाजा यह बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

बिन्दु संख्या 01 न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है के अलावा शेष दोनों बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में तय किये गये है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 में 15 दिवस का समय दिया गया था। लिहाजा जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2015 को की गई जांच/कार्यवाही विधिसम्मत नहीं होने एवं मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत नहीं पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर को जब्त शुदा 70 क्वि0 चना दाल अथवा उसके निस्तारण से प्राप्त राशि अप्रार्थी को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.08.2018 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर